न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 259 / 2025 दायर दिनांकः **29.10.2025**

उनवान

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील रायपुर जिला झालावाड

प्रार्थी

बनाम

1. जगदीशचन्द पि. बालाराम जाति कुल्मी नि. रामपुरिया तहसील रायपुर

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :—

प्रार्थी :— पैरोकार सरकार

अप्राथी :— एकतरफा

आदेश दिनांक : 02.12.2025

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम रामपुरिया पटवार मण्डल रामपुरिया तहसील रायपुर जिला झालावाड़ की आराजी खसरा संख्या 296 / 116 एवं 297 / 225 रकबा कमशः 0.0253 है. एवं 0.0253 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 0.0506 है. गैर मुमकिन चाह प्रतिवादी के खाते में दर्ज है जिसे आगे वा द्यस्त आराजी के नाम से संबोधित किया गया है। नवीन जमाबंदी संलग्न है आराजी वर्तमान में प्रतिवादी के नाम गैर खातेदारी में दर्ज है। यह कि उक्त नियमन आदेश में प्रतिवादी को गैर खातेदारी दर्ज करने के आदेश होने से बाद चाह नियमन नामान्तरण संख्या 237 दिनांक 30.03.2002 से खसरा संख्या 116 व 225 किस्म चारागाह में से प्रतिवादी को गैर खातेदार दर्ज किया गया। नकल नामान्तरण संलग्न है। प्रतिवादी को उक्त चाह का [illegible] सिचाई प्रयोजनार्थ खसरा संख्या 116 व 225 किस्म चारागाह से नियमन कर [illegible]तरण संख्या 237 दिनांक 30.03.2002 द्वारा श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय के आदेश कमांक 914—15 दिनांक 08.11.2001 की पालना में किया गया था। चूँकि राजस्थान भू

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:36:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

(2)

राजस्व (सिंचाई प्रयोजनार्थ पम्पिंग सेट लगाने एवं कुआं निर्माण हेतु भूमि आवंटन) नियम 1979 के नियम संख्या 7 उपनियम संख्या (1) में यह भूमि पट्टे पर दिए जाने के प्रावधान है न कि गैर खातेदार दर्ज किये जाने के। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम रामपुरिया पटवार मण्डल रामपुरिया तहसील रायपुर में खाता संख्या 136 की कुल किता 02 रकबा 0.0506 है. आराजी में अप्रार्थी को गैर खातेदार के स्थान पर लीजधारक दर्ज करने का आदेश देने की कृपा करें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से मुताबिक आदेशिका दिनांक 21.11.2025 से उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

3. प्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में पटवारी हल्का सालरी की रिपोर्ट, ग्राम रामपुरिया की सं. 2080 की खसरा गिरदावरी, ग्राम रामपुरिया का नामा.सं. 237 दिनांक 30.03.2002, जमाबंदी सं. 2072–75 के खाता सं. 136, जमाबंदी के खाता सं. 101, खसरा नक्शा दिनांक 24.09.2024 पेश की।

4. प्रार्थी पैराकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम रामपुरिया के खाता सं. 136 के ख.नं. 296/116 रकबा 0.0253 है. एवं 297/225 रकबा 0.0253 है. गे.मु. चाह अप्रार्थी जगदीशचन्द पि. बालाराम जाति कुल्मी नि. रामपुरिया गैर खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है, जो कि गलत है। अप्रार्थी को उक्त वादग्रस्त आराजी सिचाई प्रयोजनार्थ राजस्थान भू राजस्व (सिंचाई प्रयोजनार्थ कुयें खादने एंव पम्प लगाने के लिये भूमि आंवटन) नियम 1979 के नियम 12 (क) के अधीन सिवायचक भूमि में अतिक्रमण कर बनाये गये अवैध कुएं को नियमितिकरण कर प्रति वर्ष 24/– लीज रेन्ट जमा कराने की शर्त पर लीज पर दी गई थी परन्तु अप्रार्थी द्वारा 10 वर्ष के पश्चात ना तो उक्त लीज दिनांक 08.11.2001 को रिन्यूवल नहीं कराया गया व ना ही नियमित

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:36:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

रूप से लीज रेन्ट जमा कराई है। अतः उक्त नियमितिकरण के गलत आदेश व पालना से प्रतिवादी को लीजधारक दर्ज करने की बजाय गैर खातेदार दर्ज किया गया जो कि विधिविरुद्ध होने से गैर खातेदार के स्थान पर लीज धारक के रूप में दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जावे।

5. पैरोकार सरकार ने आगे तर्क किया कि अप्रार्थी के बावजूद सूचना नियत तारीख पेशी पर अनुपस्थित रहने से भी प्रथम दृष्टया जाहिर होता है कि अप्रार्थी के पासे अपने पक्ष में कोई जवाब/साक्ष्य नहीं है।

6. पैराकार सरकार बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार द्वारा पेश ग्राम रामपुरिया के खाता सं. 136 के ख.नं. 296/116 रकबा 0.0253 है. एवं 297/225 रकबा 0.0253 है. गे.मु. चाह अप्रार्थी जगदीशचन्द पि. बालाराम जाति कुल्मी नि. रामपुरिया गैर खातेदार में दर्ज रिकार्ड है। तहसीलदार द्वारा पेश ग्राम रामपुरिया के नामा.सं. 237 दिनांक 30.03.2002 के अवलोकन से जाहिर है कि नामान्तरण पंजिका के पैरा सं. 14 व 16 में *" चाह नियमन आदेश तह.पत्रांक 437/राजस्व/दिनांक 21.03.2002 की पालनार्थ ख.नं. 116 रकबा 0–02 बीघा चाह एवं ख.नं. 225 रकबा 0–02 बीघा चाह का नियमन होने से जगदीशचन्द पि. बालाराम कुल्मी नि. रामपुरिया की गैरखातेदारी में दर्ज करने हेतु नामा.खोलकर पेश है। बाद जांच उचित आदेश फरमावे "* का अंकन है। अतः जाहिर है कि उपखण्ड अधिकारी पिडावा द्वारा सरकारी भूमि ख.नं. 296/116 किस्म चरागाह में से 0–02 बीघा एवं 297/225 किस्म चरागाह में से 0–02 बीघा भूमि पर बने चाह का आवंटन नियम 1979 के अधीन नियमन किया गया था। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा के नियमन/आवंटन आदेश दिनांक 08.11.2001 अनुसार उपखण्ड अधिकारी पिडावा द्वारा चरागाह भूमि ख.नं. 296/116 रकबा 0–02 बीघा एवं 297/225 रकबा 0–02 बीघा पर अप्रार्थी जगदीशचन्द पि. बालाराम [illegible] नि. रामपुरिया द्वारा खोदे गये एवं कृषि भूमि की [illegible] लिए जा रहे अतिकमित कुएं को 24/– 24/– प्रति [illegible] जमा कराने पर गैरखातेदार दर्ज करने के आदेश दिये गये थे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:36:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

(5)

7. राजस्थान भू.राजस्व (सिंचाई प्रयोजनार्थ कुएं खोदने एवं पम्प सेट स्थापित करने हेतु भूमि आवंटन) नियम 1979 के नियम 7 के अनुसार इन नियमों के अधीन भूमि आवंटन/नियमन 8 शर्तो पर किया जाता है। नियम 7 की प्रथम शर्त (i) के अनुसार इस नियम के अधीन भूमि का आवंटन/नियमन लीज पर किया जावेगा और उक्त लीज 10 वर्ष या सिंचाई उद्देश्यों के लिए कुएं या पम्प सेट को उपयोग में लिए जाने का समयावधि में से – जो भी पहले हो– के लिए होगी। अतः उक्त दोनो शर्तो के अनुसार इन नियमों के अधीन भूमि अधिकतम 10 वर्षो के लिए लीज पर लिए जाने का प्रावधान है। उक्त प्रावधानो के अधीन आवंटित/नियमित भूमि को खातेदारी या गैरखातेदारी के रूप में दर्ज किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। उक्त 10 वर्षो की लीज को समाप्त होने पर प्रार्थी या लीजधारक द्वारा इसे सक्षम अधिकारी से अगले 10 वर्षो के लिए नवीनीकरण कराया जा सकता है। नियम 7 के प्रावधान/शर्ते निम्नानुसार है –

Rule 7. Conditions of allotment.- All allotment of land under these rules shall be subject to the following conditions (i) the land shall be given on Lease; (ii) One time lease money, equal to the price at the prevalent rates, recommended by the District Level Committee constituted under clause (b) of rule 2 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004, or the rates approved by the Inspector General of Stamps under sub-rule (1) or rule 58 of the Rajasthan Stamp Rules, 2004, or the rates determined by the State Govemment under sub-rule (2) of rule 58 of the Rajasthan Stamp Rules, 2004, Whichever is Higher, shall be charged. (iii) The lease shall be for a period of ten years, or for so long as the lessee uses the well or the pumping set for purpose of irrigation, whichever is less, renewable at the end of twenty years for further similar periods. The State Government may terminate the lease earlier than the period of lease when considered necessary after giving an opportunity of being heard to the lessee; (iv) The lessee shall have no right to sell, lease or sublet any portion of the land to any person or

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:36:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज•)

Scanned with OKEN Scanner

6

body of persons without the previous sanction of the Government; (v) the land shall be used only for the purpose for which it has been let out and for such allied purposes as are required for the lifting of water and its supply to the field to be irrigated; (vi) no permanent structure or buildings, except well and pump house shall be erected on the land without the previous sanction of the Government; (vii) The allottee shall have to dig the well or install a pumping set as the case may be within two years of the allotment; (viii) On failure to fulfil any of the terms and conditions of lease, the lease shall be liable to cancellation and the land shall be taken back by the Government and in the event of such resumption, the lessee shall not be entitled to any compensation for any structure etc. that he may have put up.

8. उपखण्ड अधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा भूमि के आवंटन/नियमन के बाद उक्त आवंटन नियमों के नियम सं. 8 के अनुसार आवंटन या नियमन की तारीख से 15 दिन के अंदर Form No. A में जिला कलक्टर/तहसीलदार एवं लीजधारक के मध्य लीज डीड निष्पादित कराना आवश्यक था। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार उभयपक्ष के मध्य आज दिनांक तक ऐसी कोई लीज डीड निष्पादित नहीं होना जाहिर होता है और लीज डीड के अभाव में ऐसे आवंटन/नियमन का नामान्तरण या राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद नहीं किया जा सकता है। उक्त प्रकरण में पेरोकार सरकार द्वारा तत्कालीन तहसीलदार द्वारा वादग्रस्त आराजी को बिना लीज डीड के और लीज धारक दर्ज करने के बजाय नियम 7 के विरूद्ध टाईपिग त्रुटीवश गैरखातेदार दर्ज करना स्वीकार किया है।

9. हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी पेरोकार सरकार [illegible] उपखण्ड अधिकारी पिडावा के आदेश दिनांक 08.11.2001 को सक्षम न्यायालय [illegible] अपील पेश करने का कोई उल्लेख नहीं किया है बल्कि राजस्व रिकार्ड में तत्कालीन तहसीलदार द्वारा आदेश का अमल दरामद करते समय आवंटी/अतिक्रमी को लीज धारक

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:36:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

दर्ज नहीं करके गलत तरीके से गैरखातेदार दर्ज करने की प्रविष्टि को दुरूस्त कराने के लिए यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट पेश किया गया है। धारा 136 एल.आर.एक्ट के अधीन राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के दौरान राजस्व कार्मिको द्वारा लिपीकीय/टाईपिग त्रुटी से दर्ज की गई अशुद्धि को दुरूस्त किये जाने के प्रावधान है।

10. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण एवं साक्ष्य के आधार पर ग्राम रामपुरिया तहसील रायपुर की आराजी ख.नं. 296/116 रकबा 0.0253 है. एवं 297/225 रकबा 0.0253 है. गैर मुमकिन चाह के संबंध में राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती का प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

11. परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट बावत दुरस्ती इन्द्राज न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। ग्राम रामपुरिया तहसील रायपुर की आराजी ख.नं. 296/116 रकबा 0.0253 है. एवं 297/225 रकबा 0.0253 है. गैर मुमकिन चाह में प्रविष्टि को दुरूस्त कर गैर खातेदार के स्थान पर लीजधारक दर्ज की जावे। लीज अवधि नियमानुसार नवीनीकरण नहीं कराये जाने पर तहसीलदार नियम 7 व 13 के अनुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है। तहसीलदार रायपुर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त करे।

यह निर्णय आज दिनांक 02.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दि[illegible] मीणा, आरएएस)
उप[illegible]
पिड़ावा, [illegible] (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:36:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner